



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014;

संख्या- FC/74/2022- 29

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

उपान मःगनिदेशक,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
राँची, पिन-834002

पटना 14, दिनांक- 16/01/2024

विषय-

श्री छोटू कुमार द्वारा अररिया जिलान्तर्गत मझुआ मौजा के खाता संख्या-16, खेसरा संख्या-1134, थाना संख्या-73, थाना-रानीगंज में SH-77 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.018 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/157585/2022/1479, दिनांक 06.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, राँची का पत्रांक FP/BR/Approach/157585/2022/1479, दिनांक 06.10.2023 द्वारा की गयी पृच्छाओं का निराकरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	पृच्छाएँ	निराकरण
1	The column (A-1 (x) of online) for number of yeears for which diversion is required, shows NIL, which needs be corrected.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा न्यूनतम 50 वर्ष की आवश्यकता होने की सूचना दी गयी तथा उक्त कॉलम में संशोधित कर 50 वर्ष अंकित किया गया है।
2	As per the google earth analysis of the area, it appears that violation of FC Act has happend	वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 2564, दिनांक 22.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अंकित किया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा बिना अनुमति के पथ का निर्माण कार्य कर लिया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया द्वारा वाद दर्ज किया गया है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। अतएव प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा किये गये उल्लंघन के आलोक में Penal NPV के साथ विषयक प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति दी जा सकती है।

कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC/74/2022- 29

दिनांक- 16/01/2024

प्रतिलिपि : सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC/74/2022- 29

दिनांक- 16/01/2024

प्रतिलिपि : श्री छोटू कुमार, पिता-श्री मटरू यादव, ग्राम-बैरख, वार्ड सख्या-13, पोस्ट-कोशकापुर, थाना-रानीगंज, जिला-अररिया, पिन-854334 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।



बिहार सरकार,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय : वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया वन प्रमंडल, अररिया।

फोन नं० - 06453-224373, e-mail- divfoararia-bih@gov.in (dfoararia@gmail.com)

पत्रांक :- 2564

दिनांक :- 22-12-2023

प्रेषक,

मेघा यादव, बि०ब०से०,
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
अररिया वन प्रमंडल, अररिया।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
-सह- नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।



विषय :-

श्री छोटू कुमार द्वारा अररिया जिलान्तर्गत मझुआ मौजा के खाता संख्या- 16, खेसरा संख्या- 1134, थाना संख्या- 73, थाना- रानीगंज में SH-77 पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.0018 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :-

भवदीय पत्र संख्या- FC/74/2022-760 दिनांक 20.10.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/157585/2022/1479 दिनांक 06.10.2023 द्वारा की गयी पृच्छाओं का बिन्दुवार निराकरण/उत्तर निम्नवत् है :-

- (i) The column (A-1(x) of online) for number of years for which diversion is required could be corrected as 50 years, as per the request of the applicant. (Annexure-01)
- (ii) The fresh site Inspection report is attached as Annexure-02.

भवदीय को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्न यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
अररिया वन प्रमंडल, अररिया।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
अररिया वन प्रमंडल, अररिया।विषय :- आवेदन संख्या FP/BR/Approach/157585/2022 दिनांक 28.06.2022 एवं भवदीय पत्रांक
2343 दिनांक 14.11.2023 के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 2368 दिनांक 23.11.2023

महाशय,

आपसे निवेदन पूर्वक कहना है कि मैंने HPCL का पेट्रोल पम्प खोलने के लिए पहुँच पथ निर्माण हेतु आवेदन संख्या FP/BR/Approach/157585/2022 दिनांक 28.06.2022 के द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) -सह- नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना से सभी आवश्यक कागजात के साथ आवेदन किया था। जिसका स्थलीय निरीक्षण कई चरणों में हुआ परंतु बार-बार त्रुटियाँ आती रही, जिसका त्रुटि निराकरण के लिए भवदीय को पटना नोडल कार्यालय द्वारा भी सूचित किया गया, भवदीय स्तर से स-समय त्रुटि का निराकरण नहीं होने के कारण पहुँच पथ हेतु लगभग 17 माह बीत जाने के बावजूद भी अभी तक त्रुटि का निराकरण भवदीय स्तर से नहीं हुआ है, जिसके कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे पथ निर्माण विभाग से 05 वर्षों के लिए रुपये 316308/- जमा करने के बाद ही पहुँच पथ बनाने के लिए NOC मिला, जिसका भू-स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है, साथ ही अन्य संबंधित विभागों से भी NOC मिला, उसके बाद ही अपर समाहर्ता, अररिया से NOC मिला। अतः अनुमति मिलने के बाद ही मैंने आउटलेट स्थल पर कार्य शुरू किया। कार्य शुरू करने के लिए प्लॉट में जाने के लिए रोड़ किनारे लगभग 13 फीट गड्ढा था, जिससे JCB एवं ट्रैक्टर और अन्य साधन को ले जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें जान-माल की नुकसान होने की सम्भावना थी। साथ ही बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण लगातार बारिश के तेज बहाव से बहुत अधिक मात्रा में मिटटी के कटाव एवं चाहारदिवार भी गिर गया। अतंतः मैं शारिरीक, आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान होकर मिटटी का तेज कटाव को रोकने के लिए छोटी सी ईट का परत सिर्फ जमीन के दोनों साईड बनाया है। जो अस्थायी है वो भी बारिश के कारण कटाव होकर गिर गया है, जो अभी भी स्थल पर वर्तमान में है। रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु मैंने भूमि लीज पर लिया हूँ। जिसका लीज अवधि लीज पत्र में 21 वर्ष 11 महीना अंकित है। जिसे भविष्य में कम से कम 50 वर्ष के लिए लीज विस्तारित करने की बात है, जिसे ऑनलाईन पोर्टल पर Diversion अवधि न्यूनतम 50 वर्ष करते हुए अपडेट करने की आवश्यकता है।

अतः महाशय से मेरा सादर अनुरोध है कि उपरोक्त परेशानी को देखते हुए Diversion अवधि 50 वर्ष के लिए ऑनलाईन पोर्टल पर अपडेट करते हुए त्रुटि का निराकरण कर जल्द से जल्द Diversion हेतु स्वीकृति देने की कृपा की जाय, ताकि मैं स-समय पेट्रोल पम्प संचालित कर सकूँ।

आपका विश्वासी,

Chhoty Kumar

30/11/23

(छोटू कुमार)

पिता- स्व० मटरू यादव,

ग्राम- बैरख, वार्ड नं० 13,

अंचल- रानीगंज, जिला- अररिया।



23/11/23
श्यामल आला

Sl No. 11 annexure

**Office of the Divisional Forest Officer,
Araria Forest Division, Araria, Bihar**

SITE INSPECTION REPORT OF DCF**Dated: 23.11.2023**

The proposal for establishment of retail outlet dealership of M/S Hindustan Petroleum Corporation Ltd. located on the land procured by the applicant on the Khata number 16, Khasra number 1134, Thana no. 73, Mauza- Majhua, PS- Raniganj to SH-77 Road, Dist- Araria, Bihar. Thus, a proposal for diversion of 0.018 hectare of forest land has been submitted by the applicant under Forest Conservation Act 1980. I have inspected the proposed site on dated 23.11.2023 along with Range Officer, Forbesganj in the presence of applicant Mr. Chhotu Kumar. During the inspection it was found that the proposed site of Petrol Pump is situated along the Raniganj-SH-77 Road which has been notified as 'Protected' vide notification 190 (E) Van Praya. -97/1991 Dated 16.02.1994. During the inspection it was found that the outlet retailer Mr. Chhotu Kumar has constructed the path without obtaining permission from the department. A show cause notice was served to the applicant vide letter number 2368 dated 23.11.23 and reply was submitted by him on 30.11.2023 in which he mentioned that the connecting road was required for the construction of the petrol pump (Annexure 1). A POR 0332 has been lodged and case CC98/2023 has been filed in the court of Chief Judicial Magistrate Araria (Annexure 3). There is one tree found at the site however felling is not required as per the applicant.



During the inspection no endanger/unique species of flora and fauna was observed. Also, no protected archaeological/ heritage site is located near the site as per my knowledge.

This project may be accepted.



Divisional Forest Officer,
Araria Forest Division, Araria

Photographs related to site inspection dated 23.11.23



वन विभाग, बिहार

अररिया वन प्रमण्डल

अपराध रिपोर्ट सं० 142^P ता० 22-12-20

अररिया/फारबिसगंज रेंज राजस्व केंद्र ।

अपराध का स्वरूप

पता चलने की तारीख और समय 27/11/2023 9:30 AM
 घटना स्थल गा. चालाबलुआ S.N. 77 के किनारे
 किसने पता लगाया श्री सुन्दर कुमार सिंह (पत्ररक्षी, रानीगंज)

वन अधिनियम और भारतीय वण्ड संहिता की धारा का निर्देश ।
 (यह वन प्रमण्डल कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

अभ्युक्तों का नाम

नाम	पिता का नाम	निवास स्थान		
		गाँव	थाना	जिला
श्री सुन्दर कुमार	श्री मटरु थाप्य	खैरख पार्सल-13	रानीगंज	अररिया

साक्षियों के नाम

① अमरेंद्र कुमार थाप्य	श्री अमरेंद्र थाप्य	चालाबलुआ	रानीगंज	अररिया
② सुन्दर कुमार सिंह (पत्ररक्षी रानीगंज)	श्री महेश्वर प्रसाद सिंह	बलुआ नं-01	बलुआ पजार	सुपौल

27/11/23

तथ्यों की रिपोर्ट पन्ने की दूसरी ओर है ।

रैफा में,

माननीय मुख्य-कार्यक, टाटा/धकारी
अरारिया

द्वारा: उचित साक्ष्य

विषय: C.C 98/2023 G.H. 77 के किनारे की अधिसूचित
वन भूमि में बिना पूर्वी नुमाते के सिद्धी भरकर
पट्टेच पथ निर्माण के साक्ष्य में,

सहायक.

उपरोक्त विषय के साक्ष्य में सूचित करना
है कि ग्राम- कालावलुआ G.H. 77 के किनारे 10^{वें} सं 10^{वें}
कि मीटर के बीच कालावलुआ में श्री धौदु कुमार पिता
श्री महरु थादव ग्राम- वैररव पाई नं०-13 धारा- रानीगंज
जिला- अरारिया के द्वारा सिद्धी भरई कर अधिसूचित वन
भूमि में पट्टेच पथ का निर्माण किया गया है।

इस साक्ष्य में जनरली रानीगंज
कुन्दन कुमार सिंह के द्वारा अपराध प्रतिवेदन संख्या-
0332 दिनांक 27/11/2023 दायर किया गया है।

धटनास्थल की ओं च में द्वारा दिनांक
27/11/2023 को संख्या 3:00 वजे की गई धटना स्थल पर
H.P.C.L के पेट्रोल पाप के निर्माण हेतु 7.5 मीटर x 12.00 मी
में दो स्थल पर पट्टेच पथ बनाया गया है, G.H. 77
के किनारे की भूमि अधिसूचित वन भूमि है।

अधिसूचना के क्रमांक 21 में दर्ज है
धटना स्थल G.H. 77 के पाईचम भाग में है धटना के
साक्ष्य में श्री धौदु कुमार को दिनांक 10/12/23 को
जांचिस किया गया, दिनांक 15/12/23 को स्वयं
उपरोक्त होकर बताया कि मैंने आवेदन वन प्रसाइल
कार्यालय में दे रखा है, जिसकी धाया प्रति मुझे
उनके द्वारा दी गयी।

वन विभाग, बिहार

अररिया प्रमण्डल

अपराध रिपोर्ट सं० 148
ता० 22.12.23

Adm. No. 1116/1164
22.12.23
वनो के क्षेत्र पदाधिकारी
अररिया/फारबिसगंज प्रक्षेत्र
फारबिसगंज राजस्व केन्द्र
रेंज

ज्ञापांक सं० 641
ता० 22.12.23

प्रभारी वन संरक्षक
को जल्दी रिपोर्ट की एक प्रति और आदेशिका जारी करने के लिए एक
आवेदन के साथ अग्रसारित ।

Adm. No. 1116/1164
22.12.23
वनो के क्षेत्र पदाधिकारी
फारबिसगंज प्रक्षेत्र
प्रभारी पदाधिकारी
अररिया/फारबिसगंज राजस्व केन्द्र

मालिभोजन पत्र स्वीकृत

वन प्रमण्डल पदाधिकारी
अररिया वन प्रमण्डल, अररिया

ज्ञापांक सं० 2558
ता० 22.12.23

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अररिया
को आदेशिका तामील करने के लिए आवेदन और निम्नलिखित दस्तावेजें
भेजी जाती हैं :-

1. अतिवृत्त
2. मालिभोजन की प्रत
3. मालिभोजन अतिवृत्त प्रभारी वन संरक्षक

अररिया वन प्रमण्डल
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
अररिया वन प्रमण्डल, अररिया

इस सम्बन्ध में वन प्रान्तपाल पदाधिकारी सह प्राधिकृत पदाधिकारी को उचित माध्यम से प्रतिक्रिया समर्पित किया गया है। अभियुक्त के द्वारा आविष्ट वन अधिनियम 1927 की धारा 33'c' का उल्लंघन किया गया है।

अतः अनुमोदित है कि, अभियुक्त श्री सुभाष कुमार पिता. सरजू चांद झा. बेंरसूर नर्सिंग-13 धारा. रानीगंज. जिला. अररिया पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाय।

विशालगंज

Handwritten signature

21/12/23

वन परिसर पदाधिकारी
रानीगंज परिसर

प्रदीप कुमार सिंह

मो (9572175545)

सेना में,

वन प्रान्तपाल पदाधिकारी, अररिया वन प्रान्तपाल, अररिया

सहायक,

कारना के जॉय सिन्हा। सत्य राज। अतः 5 से
मात्रार्थ धारणाएं लेना जा सकता है।

विशालगंज,

दिनेश कुमार सिंह

22-12-2023

वन के क्षेत्र पदाधिकारी
फारिसगंज प्रक्षेत्र

NOTIFICATION

Patna, Dated _____ / Whereas, the Governor of Bihar is of the opinion that the making of enquiry and record, contemplated under sub-section (3) of the section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. XLVI of 1927) will occupy such length of time as in the meantime it may endanger the rights of the State Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso of the aforesaid sub section and by sub section (1) of section 29 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to declare that pending such enquiry and record, the provisions of chapter IV of the said Act be applicable to the lands where there is any tree or not, specified in the schedule without abridging or affecting existing rights or the benefits/operations of the Parent Departments such as repairs, broadening of roads, etc.

No.	Name of the Road	Length in Boundary	Name of District
2.	K.M.	4.	5.
Hajipur-Chapra-Siwan-Guthani	155.70	On both side of the road demarcation has been done by stones or trenches.	Siwan/Saran/Vaishali
Hajipur-Mahua-Tajpur-Karpurigram-Samastipur-Darbhanga	109.50	-do-	Vaishali/Samastipur/Darbhanga
Hajipur-Maknar-Mohiddinagar-Bachwara	74.40	-do-	Vaishali/Samastipur
Chapra-Manjhi-Darauli-Guthani	84.40	-do-	Saran/Siwan
Chapra-Salempur	79.90	-do-	Saran/Siwan/Gopalganj
Chapra-Rekhaghat-Bakhra-Muzaffarpur	80.00	-do-	Saran/Muzaffarpur
Muzaffarpur-Darbhanga-Sakri-Pandaul-Medhubani-Rahika-Seurath-Kaluahi-Jainagar	137.00	-do-	Muzaffarpur/Darbhanga/Medhubani
Sakri-Jhanjharpur-Phulparas-Khutauna-Lokha	77.00	-do-	Medhubani
Mhodhardina-Phulparas-Lokhi-Lokha-Jadaniya-Chapkipedna-Jainagar-Taralokhi-Umgaon-Basopatti-Kaluahi-Magauli	123.70	-do-	Medhubani
Hajipur-Goraul-Muzaffarpur-Runni-Dumra-Sonbarsa	146.00	-do-	Vaishali/Muzaffarpur/Sitamarhi
Donar (Darbhanga), Bahera-Biraul-Bisheswar Sthan	64.00	-do-	Darbhanga
Bajitpur-Dalsingsarai-Narhan-Rosra-Dushmar-Rajghat-Sinchia	56.00	-do-	Samastipur
Muzaffarpur-Harpur-Samastipur-Dalsingsarai-Kadrebud-Mobarkbad-Malti	121.20	-do-	Samastipur/Muzaffarpur/Begusarai
Methurhi-Kothi-Rosra-Sagi-Manaul-Begusarai-Samahi	78.00	-do-	Samastipur/Begusarai
Rekhaghat-Hasapur-Halipur-Becpura-Barbari-Olapur-Khagaria	64.5	-do-	Samastipur/Begusarai/Khagaria

16.	Kalyanpur-Dholi- Mazaffarpur-Kakarghati	53.0	-do-	Samastipur/Muzaffarpur
17.	Mabeghat (Darbhanga) Kamtaul-Basaittha-Madhuberpur	32.2	-do-	Darbhanga/Madhubani
18.	Muzaffarpur-Sitamari- Sonebarse	91.20	-do-	Muzaffarpur/ Sitamari
19.	(West Bengal Border) Thakurganj, Bahardurganj- Jaunkihati-Araria- Raniganj	118.4	-do-	Kishanganj/Araria
20.	Manihari-Katihar-Purnea- P. Ct. Kasba-Araria- Forbesganj-Jogbani.	123.20	-do-	Katihar/Purnia/ Katihar
21.	Forbesganj-Raniganj- Sarsi-Meerganj-Falka- Murseela	116.8	-do-	Araria/Purnia/ Katihar
22.	Purnea-Mahendrapur-Kadwa- Salmari Raghunathpur- Abadpur	60.8	-do-	Purnia/Katihar
23.	Purnea-Dhanda-ha-Rupauli- Tikapatti Chandipur	69.6	-do-	Purnia
24.	Falka-Kohra-Kadwa- Amr Amdaba	70.4	-do-	Katihar
25.	Bayasi-Amraur-Gerua-Sonya- Kishanganj-Kishanganj- Tairabpur-Thakurganj- Gaisaliya	137.6	-do-	Purnia/Kishanganj
26.	Purnia-Madhepura-Saharsa	97.6	-do-	Purnia/Madhepura
27.	Beerpur-Bihpur Road	147.6	-do-	Supaul/Madhepura/ Saharsa/Khagaria
28.	Saharsa-Bangaon-Supaul- Pipra	58.00	-do-	Saharsa/Supaul
29.	Maheshkhoot-(Khagaria) Sonbarsa-Saur Bazar- Bainjathpur	55.00	-do-	Khagaria/Saharsa
30.	Forbesganj-Kakarghati Kakarghati-Muzaffarpur Ragnipur-Bhaptiyahi- Rahariya	162.0	-do-	Araria/Supaul
31.	Sahpur-Kishaniyadav-Mathurapur Bazar	50.0	-do-	Bhagalpur
32.	Siwan-Gopalganj	32.50	-do-	Siwan/Gopalganj
33.	Hajipur-Lalganj-Vaishali	37.5	-do-	Vaishali
34.	Mahua-Muzaffarpur	28.9	-do-	Muzaffarpur

118.4

67

32

98

15-14

	Chapra-Khera-Satarghat	43.75	-do-	Saran/Gopalganj	
36.	Siwan-Berhanwa-Sarkara	33.00	-do-		
37.	Chapra-Madhaura-Amnour	37.4	-do-	Saran	
38.	Sitalpur-Parsa-Maker	27.0	-do-	Saran	
39.	Siwan-Pagambarpur	40.54	-do-	Siwan/Saran	
40.	Mirganj-Ketaiya	42.00	-do-	Gopalganj	
41.	More-Pagda	20.0	-do-	Gopalganj	
42.	Mohammadpur-Lakhanpur	20.4	-do-	Gopalganj	
43.	Mirganj-Bhagopatti-Samaur-Via Air Port	38.0	-do-	Gopalganj	
44.	Pachrukhi-Harihargarh-Lalpur	23.0	-do-	Siwan	
45.	Madhubani-Rajnagar-Babubarhi-Khatauna	40.0	-do-	Madhubani	
46.	Hirni-Sindhiya-Behri-Anantpur-Lahariyasarei	49.0	-do-	Samstipur/Darbhanga	
47.	Begusarai-Sanjat-veepur	27.0	-do-	Begusarai	
48.	Mungerghatt-Reshidpur Road	36.75	-do-	Begusarai	
49.	Samastipur-Srairenan-Shahpur-Patauri	36.0	-do-	Begusarai	
50.	Bishanpur-Aterbel-Jale-Makeyya	48.4	-do-	Darbhanga/Madhubani	
51.	Rahika-Kenipatti-Pupri	38.5	-do-	Madhubani/Sitamarhi	
52.	Darbhanga-Rahika	29.5	-do-	Darbhanga/S Madhubani	
53.	Bisphi-Ausi-Raiyam-Madhubani	23.2	-do-	Madhubani	
54.	Sakri-Behra-Behri	33.5	-do-	Darbhanga	
55.	Jhanjharpur-Madhepura-Tamoriya-Andhardhadi	43.00	-do-	Madhubani	
56.	Madhubani-Rampatti-Jhanjharpur	42.2	-do-	Madhubani	
57.	Jhanjharpur-Makaura (Benipur)	24.00	-do-	Madhubani	
58.	Fulvariya-Chowk-Karhagola	80.00	-do-	Katihar	
59.	Jhanjharpur-Balasi-Pedagochi	34.00	-do-	Araria/Kishanganj	34.4
60.	Araria-Zera-Mile-to-Khatarniya-Sikri	45.4	-do-	Araria	46.4
61.	Forbesganj-Kursakonta	29.0	-do-	Araria	29.0

1	2	3	4	5
62.	Pindra-Trivendram Jauliya-Balua			
63.	Supaul-Sarahgarh Path	25.0	-do-	Supaul
64.	Maheshkhwat-Parbatta- Aguale Chhatt	36.0	-do-	Khagariya
65.	Khagariya-Alauli-Jogiya Ghazal Bahadurpur	35.5	-do-	Khagariya
66.	Naugachiya-Tintanga- Kalariya	28.0	-do-	Bhagalpur/Khagariya
67.	North Ganga Approach Road	6.0	-do-	Vaishali
68.	Lalganj-Fakuli	16.4	-do-	Vaishali
69.	Bagaucha-Semra- Koyenrahanba	15.0	-do-	Gopalganj
70.	Bherwa-Daruli	19.0	-do-	Siwan
71.	New Siwan-Hisua	14.2	-do-	Siwan
72.	X Siwan-Aander	16.00	-do-	Siwan
73.	Aander-Raghunathpur	12.8	-do-	Siwan
74.	Bhantaphokhar-Jeeradai	4.00	-do-	Siwan
75.	Badarneemi-Keilgarh	5.00	-do-	Siwan
76.	Khansarai-Nawada	4.0	-do-	Gopalganj
77.	Singhvaliya-Baldiha	8.0	-do-	Gopalganj
78.	Majhagarh-Dheramparsa	5.0	-do-	Gopalganj
79.	Sasamusa-Bagaucha	8.0	-do-	Gopalganj
80.	Jigna-Aurai	5.0	-do-	Gopalganj
81.	Harkhaua-KhwaJapur	8.0	-do-	Gopalganj
82.	Barauli-Kalyanpur	8.0	-do-	Gopalganj
83.	Babaiya-Link Road	3.0	-do-	Gopalganj

.....5/-

1	2	3	4	5
84.	Sinhwāliya-Jhājhwā	8.80	-do-	Gopalganj
85.	Khutauns-Tanushi	14.5	-do-	Madhubani
86.	Majhaul-Garhpura	13.75	-do-	Begusarai
87.	Majhaul-Kakhri	15.60	-do-	Begusarai
88.	Malipur-Daulatpur	11.86	-do-	Begusarai
89.	Begusarai-Rly Over Bridge Approach Road	2.0	-do-	Begusarai
90.	Garhara-Link Road	2.0	-do-	Begusarai
91.	Teghra-Mubarkpur Road	7.0	-do-	Begusarai
92.	Raiyam-Kevti	7.0	-do-	Darbhanga
93.	Raiyam-Tarsarai	11.0	-do-	Madhubani
94.	Madhubani-Saurauth	9.5	-do-	Madhubani
95.	Shivnagar Ghatt-Ghanshyampur	13.0	-do-	Darbhanga
96.	Horalpatti-Ashok Paper Mill	6.0	-do-	Darbhanga
97.	Batlokiya-Rampatti pandaul	12.5	-do-	Madhubani
98.	Madhubani-Raiyam-Aunsi	13.6	-do-	Madhubani
99.	Raghunthpur-Barsoi-Bairampur	17.0	-do-	Katihar
100.	Kaswa-Kaliyaganj	6.4	-do-	Purnia
101.	Krityanand Nagar-Bhasuria Kohsara	17.6	-do-	Purnia
102.	Ugrua-Kasba	19.2	-do-	Purnia
103.	Panongachiya-Nauhatta	13.0	-do-	Sahā Saharsa
104.	Mirganj-Jadiya	19.2	-do-	Madhepura

1.	2.	3.	4.	5.
✓ 105.	Supaul-Gamhariya-Shingheshwar	15.00.	-do-	Supaul/ Madhepura
✓ 106.	Kishanganj-Bihariganj	9.00	-do-	Madhepura
✓ 107.	Khajoori-Bhargama	8.80	-do-	Araria
✓ 108.	H. rd. - Satkodriya	6.40	-do-	Araria
✓ 109.	Muktapur-Warishnagar	12.00	-do-	Samastipur

By order of the Governor of
Bihar

N Singh
(Narendra Pal Singh)
Commissioner and Secretary.

हापार्क वन पर्यावरण प्र० ११/११-१९०-ए/०१०३ पटना १३ दि० १६-२-१४

प्रतिलिपि- सभी मंत्री/सभी विभागाध्यक्ष/सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय
आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी उपायुक्त/सभी ^{विभाग के} अभियंता प्रमुख को आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

शुभेन्द्र पाल सिंह
आयुक्त एवं सचिव ।

हापार्क वन पर्यावरण प्र० ११/११-१९०-ए/०१०३ पटना १५, दि० १६-२-१४

प्रतिलिपि- प्रधान उच्च वन संरक्षक/सभी क्षेत्रीय उच्च वन संरक्षक/सभी
वन संरक्षक/सभी वन प्रमण्डल पदाधिकारी को सुचार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित ।

शुभेन्द्र पाल सिंह
आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में

माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
अरुणा।

विषय - S.H. 77 के क्विटर की अधिसूचित वन भूमि में
विना पुनोपकरण के बिंदी भरकर पहुंच पत्र निर्माण
के सम्बन्ध में।

सहायक,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करता हूँ कि
S.H. 77 के क्विटर 10 वें ले 11 वें डिब्बे के बीच ग्राम-कालाकुआ
में श्री धोडू कुमार पिता- मधु मादन ग्राम-लैरन वाई नं 13
आता- रानीगंज के द्वारा बिंदी भरई कर पहुंच पत्र का निर्माण
किया गया है। इस सम्बन्ध में नगरही श्री कुरुवत कुमार सिंह
के द्वारा अपराध प्रतिवेदन संख्या 0992 दिनांक 27/11/23
दाखर किया गया है।

दखनात्मक की जांच केरे द्वारा की गई,
दखनात्मक पाया। पेशवा पत्र के निर्माण हेतु 7.5 मी. x 12.00 मी
में दो स्थान पर पहुंच पत्र लगाना पाया है। S.H. 77 के क्विटर
की भूमि अधिसूचित वन भूमि है, अधिसूचना के क्रमांक -
21 में दर्ज है (प्रतिबिधि संलग्न)। इस सम्बन्ध में वन प्रमण्डल
पदाधिकारी एवं प्राधिकृत पदाधिकारी को अनुरोध किया है
प्रतिवेदन खारिज किया जा रहा है। अभिपुत्र के द्वारा भारतीय
वन अधिनियम 1928 की धारा 33 'c' का उल्लंघन किया गया
है। विस्तृत जांच (अभिनोगत) प्रतिवेदन अधीन वी श्री मात
की सेवा में अनुरोध किया है खारिज की जासी।

अतः अनुशेष है कि अभिपुत्र -

-- धोडू कुमार पिता- मधु मादन ग्राम-लैरन वाई नं
13 आता- रानीगंज पर आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने
की कृपा की जाय।

अनु० श्री अपराध प्रतिवेदन
श्री अधिसूचना की प्रति.

निश्वाहा राज

4/11/23

28/11/23

वन अधिकारी
सहायक अधिकारी

मो० 9572175545

Forest Department, Bihar

जंगल विभाग

Book No. 0332

Araria Forest Division, ARARIA

.....डिवीजन।

Note:- This report is to be submitted within 24 hours of the detection.

नोट- यह रिपोर्ट एकदो जामे के 24 घंटे के अन्दर दाखिल करना चाहिए।

Offence Report No.....

Date 27/11/2023

जुर्म नम्बर.....

तारीख.....

1. Place of occurrence-

घटना स्थल- ग्राम हालादलुभा 3-4 नं० के किनारे

2. Date and hour of detection-

पकड़ने का समय और तारीख- 9:30 AM 27/11/2023

3. Name(s), Parentage and residence of offenders-

नाम अपराधी और उस के पिता का नाम और पता- धीरू कुमार पिता महारु आदर

ग्राम- खैरस गाँव-13 थाना-सर्पेज

4. Property seized, if any-

जप्त माल, अगर कोई- जिला- अररिया

5. Custody of seized property-

जप्त माल का ज़िमेवार- मुन्थ

6. Name(s), parentage and residence of witness(es), if any-

नाम गवाह और उसके पिता का नाम और पता- रामचन्द्र कुमार आदर पिता धीरू

7. Nature of offence and facts of the case.

आदन ग्राम हालादलुभा थाना-सर्पेज जिला- अररिया

तेफसील और बयान जुर्म-

सेवा में।

पना क क्षेत्र पदाधिकारी
कारावलुआ

अस. उचित माध्यम

विषय: - उ.म. 77 के किनारे आस. कारावलुआ में
अधिसूचित वन भूमि में गिरी भराई के शासक में
मसाध

उपरोक्त विषय के सूचना में सूचित किया है
कि श्री कुमार पिला मन्त्र आदर आस. कारावलुआ के द्वारा
उ.म. 77 के किनारे (कारावलुआ आस.) अधिसूचित वन भूमि
में गिरी भराई का कार्य 7.5 मी. x 12.00 मी. में ही समाप्त
पर किया गया है। यह कार्य बिना अनुमति प्राप्त किए
किया गया है। अधिसूचित के द्वारा जोरतय यह
अधिनियम 1927 की धारा 33(1) के अन्तर्गत किया
गया है।

आस. अधिसूचित पर आवश्यक कार्यवाही
करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

कुल कुमां सिंह

वतरी, नगीर